न्यायालय अपर आयुक्त इंदौर संभाग, इंदौर

प्रकरण क्रमांक 1463/अपील/2025–26

योगेश कुमार अग्रवाल पितास्व. बाबूलाल अग्रवाल,
निवासी–111, श्रीनगर मेन, इन्दौर, जिला इन्दौर .....अपीलार्थी

विरुध्द

कलेक्टर, जिला इन्दौर (म.प्र.) .....प्रत्यर्थी

प्रकरण क्रमांक 1905/अपील/2025–26

मेसर्स समय इन्टरप्राईजेस द्वारा भागीदार, श्रीमती सोनल पति अतुल कोठारी,
निवासी–26/1, रेसकोर्स रोड, इन्दौर .....अपीलार्थी

विरुध्द

कलेक्टर, जिला इन्दौर (म.प्र.) .....प्रत्यर्थी

चप्रकरण क्रमांक 1908/अपील/2025–26

तुकाराम इसरानी पिता खेमचन्द
पता–58, सर्वोदयनगर, इन्दौर (म.प्र.) .....अपीलार्थी

विरुध्द

कलेक्टर, जिला इन्दौर (म.प्र.) .....प्रत्यर्थी

प्रकरण क्रमांक 1438/अपील/2025–26

व्हाईट गोल्ड रियल्टी एल.एल.पी द्वारा अधिकृत भागीदार संदीप पिता सुरेश कुकरेजा
पता–105, कमला विला प्रगति विहार भिचौली मर्दाना, इन्दौर (म.प्र.) .....अपीलार्थी

विरुध्द

कलेक्टर, जिला इन्दौर (म.प्र.) .....प्रत्यर्थी

प्रकरण क्रमांक 1437/अपील/2025–26

विनोद कुमार बेनयानी पिता स्व. लक्ष्मणदास आर. बेनयानी,
निवासी–240, साकेत नगर इन्दौर (म.प्र.) .....अपीलार्थी

विरुध्द

कलेक्टर, जिला इन्दौर (म.प्र.) .....प्रत्यर्थी

प्रकरण क्रमांक 1435/अपील/2025–26

श्रीमती अजिन्दर कौर पति गुरचरण,
निवासी–35, गुलमोहर कालोनी, इन्दौर .....अपीलार्थी

विरुध्द

कलेक्टर, जिला इन्दौर (म.प्र.) .....प्रत्यर्थी

प्रकरण क्रमांक 1436/अपील/2025–26

1– पिताम्बर आहूजा पिता स्व. गोपालदास आहूजा,
2– कृणाज आहूजा पिता पिताम्बर आहूजा, पता–502, गबाना हाउस, 15, रोड, खार (वेस्ट) मुम्बई द्वारा मुख्त्यार–खुशीराम आहूजा पिता गोपालदास आहूजा, पता–13, साकेत नगर, इन्दौर .....अपीलार्थीगण

विरुध्द

कलेक्टर, जिला इन्दौर (म.प्र.) .....प्रत्यर्थी

प्रकरण क्रमांक 1406/अपील/2025–26

1– माधुरीशरण पिता दुलीचंद अग्रवाल, निवासी–8/5, रानी सती गेट कालोनी, इन्दौर

संपति के अंतरण/संव्यवहार पर रोक लगाए जाने की स्थिति में ऐसे आदेशों का नियमानुसार पालन किया जाना अपेक्षित है। जहां तक दस्तावेजों के पंजीयन का प्रश्न है, दस्तावेज का पंजीयन स्वत्व का प्रमाण नहीं होकर पक्षकारों के मध्य संव्यवहार के संबंध में मात्र सार्वजनिक साक्ष्य का निर्माण करता है। अतएव दस्तावेजों के पंजीयन पर बिना सक्षम अधिकारिता एवं स्पष्ट न्यायिक/अर्द्धन्यायिक आदेश के बिना प्रकरण के अधीन प्रतिबंध लगाया जाना अथवा क्रय-विक्रय/अंतरण पर रोक संबंधी आदेशों/निर्देशों के पंजीयन अधिकारियों से पालन की अपेक्षा किया जाना विधि अनुरूप नहीं है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील प्रकरण कमांक 3954/20025 में पारित निर्णय दिनांक 07 अप्रैल 2025 तथा सिविल अपील प्रकरण कमांक 6234-6235/2014 में पारित निर्णय दिनांक 07 जुलाई 2014 का उल्लेख करते हुये, विधिक स्थिति के अनुसार दस्तावेजों के पंजीयन पर कोई विधि विरूद्ध प्रतिबंध नहीं लगाए जाने का निर्देश दिया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण में संलग्न नोटशीट कमांक 09 में दिनांक 12.01.2024 में अपर कलेक्टर, जिला इंदौर द्वारा अपनी टीप में उल्लेखित किया है कि, प्रश्नाधीन प्रकरण अवैध कालोनी की श्रेणी में नहीं आता है। फलतः आवेदित भूमि के खसरे के कालम नंबर 12 में उक्त भूमि से संबंधित किसी भी प्रकार का क्रय विक्रय बटाकंन, सीमाकंन आदि की कार्यवाही बिना कलेक्टर की अनुमति के नहीं किये जाने संबंधी टीप को विलोपित किया जाना उचित होगा । मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश दिनांक 26 मई 2026 एवं अपर कलेक्टर द्वारा उल्लेखित टीप से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में कालम नंबर 12 में इन्द्राज किये जाने संबंधी अंतिम स्वरूप का आदेश बिना अपीलार्थी को सूचना या सुनवाई का विधिवत कोई अवसर दिये पारित किया गया होने से विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होना प्रतीत होता है,तथा इस आदेश के संबंध में की गई कार्यवाहियां भी विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.08.2022 विधि अनुरूप नहीं होने से निरस्त किया जाता है, तथा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय मध्यप्रदेश शासन वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र कमांक 3/3/4/0008/2026 -Sec-2-05(CT) भोपाल, दिनांक 26 मई 2026 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुकम में पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत विधि अनुसार कार्यवाही की जाना चाहिये, हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई करते हुये विधि अनुसार युक्तिसंगत कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है।

यह आदेश प्रकरण क्रमांक 1905/अपील/2025-26, 1908/अपील/2025-26, 1438/अपील/2025-26, 1437/अपील/2025-26, 1435/अपील/2025-26, 1436/अपील/2025-26, 1406/अपील/2025-26, 1427/अपील/2025-26, 1428/

अपील/2025-26, 1413/अपील/2025-26, 1414/अपील/2025-26, 1439/अपील/2025-26, 1915/अपील/2025-26, 1909/अपील/2025-26, 1910/अपील/2025-26, 1912/अपील/2025-26, 1404/अपील/2025-26, 1431/अपील/2025-26, 1426/अपील/2025-26, 1908/अपील/2025-26, 1911/अपील/2025-26, 1462/अपील/2025-26, 1918/अपील/2025-26, 1917/अपील/2025-26, 1441/अपील/2025-26, 1442/अपील/2025-26, 1433/अपील/ 2025-26, 1418/अपील/2025-26, 1415/अपील/2025-26, 1416/अपील/2025-26, 1913/अपील/2025-26, 1440/अपील/2025-26, 1432/अपील/2025-26, 1920/अपील/2025-26, 1921/अपील/2025-26, 1907/अपील/2025-26, 1420/अपील/2025-26, 1914/अपील/2025-26, 1919/अपील/2025-26, 1916/अपील/2025-26, 1419/अपील/2025-26, 1430/अपील/2025-26, 1429/अपील/2025-26, 1425/अपील/2025-26, 1405/अपील/2025-26, 1417/अपील/2025-26, 1412/अपील/2025-26, 1410/अपील/2025-26, 1411/अपील/2025-26, 1407/अपील/2025-26, 1423/अपील/2025-26, 1409/अपील/2025-26, 1422/अपील/2025-26, 1408/अपील/2025-26, 1424/अपील/2025-26 एवं 1421/अपील/2025-26 पर भी लागू होकर, इस आदेश की प्रति उक्त प्रकरणो में संलग्न की जावे ।

यह आदेश मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया तथा आज दिनांक 16/10/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया। आदेश की एक-एक प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख वापस लौटाये जाए। न्यायालयीन अभिलेख अभिलेखागार में जमा हो।

(तरूण भटनागर)
अपर आयुक्त
इन्दौर संभाग इन्दौर

पृ.कमांक 616 /अ.आ/2026 दिनांक 16/10/2026

(1) कलेक्टर, जिला इन्दौर की ओर उनका प्रकरण कमांक 26/बी-121/2022-23 संहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। संलग्न-मूल प्रकरण।

9:43

68

Patwari R...
Just now



Reply

1095709228 80LZDAD8TKJMH0	82/2/2/2 (S) 92/1/4 रकवा 0.024 93/1 रकवा 0.122		0.2190 हेक्टेयर आवासीय रु.4380.00	पुषमीन पति सुधीर रंजन मोहन्ती पता निवासी डी /11 4 इम ली भोपाल भूमि स्वामी			

प्रकरण क्रमां

श्रीमती पुषमिन मोहन्ती पति सुरधीररंजन मोहन्ती,
पता–ए–4, व्हिसपरिंग फार्मस एक्सटेंशन, बरखेडीखुर्द भोपाल म.प्र.

विरुध्द

कलेक्टर, जिला इन्दौर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमां

अग्रोह इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स प्रायवेट लिमिटेड द्वारा शैलेन्द्र सिंघल